

अंचल अधिकारी करी का कार्यालय

अभिलेख क्रम संख्या- 48/2018-18

हद का प्रकार- विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

आरखण्ड सरकार के जाणांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 संपन्नित श्री अनून मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-आ०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमरूआ खारा भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

27.11.2020

मौजा- जिपुवौली ग्राम- 174 खाता संख्या- 55 मधु प्लॉट संख्या-  
- 1.40 एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खारा, अनाबाद विहार (आरखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के फर्मी-11 के जिल्द संख्या 01 के पृष्ठ संख्या- 65 पर जमाबंदी रैयत मनु और के नाम से कायम है। 5/0 बंधु और

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा संपर्कित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना राक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमानामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं शक्ति कायम करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की संचित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्या नहीं उस जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत राक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 07/12/2020 को उपस्थापित करें।

अधिकारी का सहायक  
अभिलेख

अंचल अधिकारी

आदेश का  
क्रमांक/तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

की गई  
कार्रवाई पर  
टिप्पणी

15.12.2024  
अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत अनुपस्थित। जमाबंदी रैयत मनु उराँव पिता बंधु उराँव के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है।


जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा जीपुटोली, थाना नं० 174 के सर्वे खतियान में खाता सं० 55 रकबा भूमि गैरमजुरूआ खास दर्ज है।


राजस्व मांग पंजी ii में खाता सं० 55 मधे रकबा 1.40 एकड भूमि मनु उराँव पिता बंधु उराँव के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। लगान रसीद नियमित नहीं है। संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बन्दोबस्ती/जमाबंदी से संबंधित पर्याप्त व नियमानुकुल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल-कब्जा नहीं है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा जीपुटोली, थाना नं० 174 खाता सं० 55 मधे रकबा 1.40 एकड भूमि का जमाबंदी रैयत मनु उराँव पिता बंधु उराँव के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा जीपुटोली, खाता सं० 55 मधे रकबा 1.40 एकड भूमि की जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे।  
लेखापित्त संशोधित।

  
अंचल अधिकारी  
करा।

  
अंचल अधिकारी  
करा।